न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास श्रीमती ओम प्रभा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या – 41/2016

1. सेढुराम पुत्र सुल्तान

2. सुवालाल पुत्र सुल्तान

3. धुणाराम पुत्र प्रभू

4. रामौतार पुत्र प्रभू

5. रामनरेश पुत्र बंशी

6.सन्तरा देवी पत्नी बंशी

समस्त जाति अहीर निवास कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. जवाहरा पुत्र झूथा

2. रामनिवास पुत्र झूथा

3. पांची स्त्री हेमराज

4. सीताराम पुत्र हेमराज

5. मक्खन पुत्र हेमराज

6. राजेश पुत्र रतिराम

7. सन्तोष पत्नी रतिराम

8. सरती स्त्री बक्तावर

30/04/18

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

9. पूर्ण पुत्र बक्तावर

10. सतेन्द्र पुत्र बक्तावर

11. विरेन्द्र पुत्र बक्तावर

समस्त जाति अहीर निवासी कंवरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

13. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 18/9/17

वकील वादी ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 336 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, 333 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, 353 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 361 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 437 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 444 रकबा 8 विस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 632 रकबा 9 बीघा 9 विस्वा, वाकै मौजा कांसली जिसके हाल खसरा नम्बर 430/0.14, 431/0.14, 439/0.20, 558/0.28, 561/0.26, 562/0.25, 567/0.19, 568/0.12, 583/0.20, 584/0.13, 589/0.31, 598/0.18, 599/0.16, 600/0.16, 752/0.46, 753/0.25, 754/0.25, 755/0.23, 758/0.43, 759/0.29, 760/0.43, 761/0.15, 762/0.09, 765/0.28 वाके मोजा कांसली तहसील कोटपूतली के दो आना यानि 1/8 हिस्से के खातेदार कास्तकार हरकचन्द पुत्र प्राग, बक्शा, झूथा पुत्रान रेखा थे जिन्होने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1950 को सुल्तान, प्रभू पुत्र भगवाना को बेचान कर दिया था एवं कब्जा मौके पर केतागण

18/9/17
सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

को संभला दिया था तभी से ही केतागण व उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादीगण बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण उपरोक्त आराजी पर अपने बुजुर्गान के समय से बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही के कारण विक्रेतागण हरकचन्द पुत्र प्राग व बक्शा झुथा पुत्रान रेखा के स्थान पर वादीगण व उनके बुजुर्गान केतागण सुल्तान, प्रभू पुत्र भगवाना का नाम दर्ज करने के बजाय विक्रेतागण हरकचन्द पुत्र प्राग व बक्शा झुंथा पुत्र रेखा का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिवदीगण को कई मर्तबा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु कहा परन्तु पहले तो वे टालमटोल करते रहे अब साफ इनकार हो गये। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का हक हो गया है। अतः वाद स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजुद तामील उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में वादी धुणाराम व गवाह रामकुवार के बयान करवाये गये। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में हाल जमाबन्दी प्रदर्श 1, 2, 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, 5, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2037–56 प्रदर्श 6, 7, खेवट सम्वत 2005 प्रदर्श 8 लगायत 15, विक्रय पत्र प्रदर्श 16 ए असल विक्रय पत्र प्रदर्श 16, 17, 18 पेश किया।

हमने बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के 1/8 हिस्से के खातेदार कास्तकार हरकचन्द पुत्र प्राग, बक्शा, झूथा पुत्रान रेखा थे जिन्होने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1950 को सुल्तान, प्रभू पुत्र भगवाना को बेचान कर दिया था खरीद के समय से ही केतागण व उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादीगण बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियो की गलती

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

व लापरवाही के कारण विक्रेतागण हरकचन्द पुत्र प्राग व बक्शा झुथा पुत्रान रेखा के स्थान पर वादीगण व उनके बुजुर्गान क्रेतागण का नाम दर्ज करने के बजाय विक्रेतागण हरकचन्द पुत्र प्राग व बक्शा झुंथा पुत्र रेखा का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण ने आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु कहा परन्तु उन्होने इनकार कर दिया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे। अपनी बहस के साथ विक्रय पत्र का हिन्दु अनुवाद एवं असल विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1950 पेश किया है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर है कि उपरोक्त आराजी के 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार हरकचन्द व बक्शा थे। उक्त तथ्य मिसल हैकियत सम्वत 2005 से बखुबी साबित है तथा हरकचन्द व बक्शा द्वारा जरिये रजिस्ट्री उक्त भूमि को वादीगण के बुजुर्गान सुल्तान, प्रभू पुत्रान भगवाना को दिनांक 24.05.1950 को बेचान कर दिया। मूल विक्रय पत्र से उक्त तथ्य साबित होता है तथा मौके पर कब्जे बाबत प्रस्तुत गिरदावरीयो के अवलोकन से यह जाहिर है कि मौके पर वादीगण का कब्जा है एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी मौके पर आज भी वादीगण का कब्जा होना जाहिर किया है। ऐसी सुरत में वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल खसरा नम्बर 430/0.14, 431/0.14, 439/0.20, 558/0.28, 561/0.26, 562/0.25, 567/0.19, 568/0.12, 583/0.20, 584/0.13, 589/0.31, 598/0.18, 599/0.16, 600/0.16, 752/0.46, 753/0.25, 754/0.25, 755/0.23, 758/0.43, 759/0.29, 760/0.43, 761/0.15, 762/0.09, 765/0.28 वाके मोजा कांसली तहसील कोटपूतली में से प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान हरकचन्द पुत्र प्राग, बक्शा, झूथा पुत्रान रेखा का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम अंकन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर तहसीलदार कोटपूतली को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)